

## फार्म

अचल सम्पत्ति विवरणका वर्ष 2013

\* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष -

1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम राजेश कुमार मिश्रा 2. वर्तमान धारित पद एस.ई. (CC) 3. कार्यालय का नाम % S.E (TR) MPPICL Sabag  
4. वर्तमान वेतन 38200 ~~46600~~ (31600 + 6600) 5. भविष्य निधि क्रमांक 24202805 6. कर्मचारी संख्या

उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थिति हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका मण्डल अधिकारी/कर्मचारी से क्या सम्बन्ध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
आनन्दपुर शीवा (सपुत्र)	भवन 27' x 40' 30' x 10' 50' x 48'	-	25 लाख	-	खरीद वर्ष 1992, मीरपुर पट्टे, आनन्दपुर शीवा 50' x 48' एवं की सम्पत्ति	-	-
श्री 24 शर्मा को जनेह जिला-शीवा (सपुत्र)	1 एकड़ क्षेत्र 60' x 60'	10.5 एकड़	23.00 लाख	-	पैसा	25000/-	-

नाम  
पदहस्ताक्षर  
राजेश कुमार मिश्रा  
(एस.ई. (CC))

\* जहां लागू न हो, काट दीजिये

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाये।

\*\*\* इसमें अल्पकालिक पेट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी- मण्डल द्वारा ग्राह्य मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1985 के नियम 19 (1) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक 12 महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अथवा किसी अन्य व्यक्ति के नाम से पट्टे या बंधक पर धारित स्थावर (अचल) सम्पत्ति का विवरण देवे।

HINDI